न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 56/2026 बउनवानी मनोज कुमार जैन बनाम तहसीलदार बौंली
निवासी नेहा विला, महावीर मार्ग बौंली जिला सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/108

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
28.4.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 14.10.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर **"प्रार्थी द्वारा ग्राम रवांसा के ख0न0 19/1, ख0न0 824/50 बांस टोरडा के ख0न0 824/50 के संबंध मे कुल 17 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना।** "तहसीलदार बौंली से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बौंली की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/आरटीआई/2026/361 दिनांक 13.4..2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.2025 मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 लगायत 6 की सूचना का संबंध मे तहसील बौंली से संबंधित नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है तथा बिन्दु संख्या 7 व 8 के कम मे नामा0 संख्या 153 व 517 की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को दी गयी है। इस प्रकार कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार चाही गयी सूचना मे से आंशिक सूचना अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है। शेष सूचना से संबंधित रिकार्ड कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के कारण अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 14.10.2025 मे चाही गयी सूचना मे से बिन्दु संख्या 1 लगायत 6 की सूचना का संबंध मे तहसील बौंली से नही होना बताते हुए उक्त बिन्दुओ की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है तथा बिन्दु संख्या 7 व 8 के कम मे नामा0 संख्या 153 व 517 की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी गयी है। शेष बिन्दुओ की सूचना नही दिये जाने के संबंध मे कोई विधिसम्मत कारण नही बताया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में 17 बिन्दुओ की सूचना चाही गयी है जबकि तहसीलदार बौंली द्वारा केवल 8 बिन्दुओं के संबंध मे ही अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया है। यद्यपि अपीलान्ट द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र में कई बिन्दुओं की सूचना अस्पष्ट एवं अपूर्ण विवरण के मांगी गयी है जो दिया जाना सम्भव नही है। किन्तु न्यायहित में तहसीलदार बौंली को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट को 15 दिवस मे वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner